

**राजस्थान उच्च न्यायालय
जोधपुर**

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1422/2025

ज्योति परमार पुत्री श्री हरि प्रसाद परमार, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी ग्राम पटली पोस्ट पुनाली
जिला डूंगरपुर राजस्थान 314028

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (एसआईएचएफडब्ल्यू), इसके निदेशक के माध्यम से, झालाना डूंगी कॉलोनी, घाट की गूनी, जयपुर, राजस्थान 302004
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोधपुर अंचल।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर।

-----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री रिपुदमन सिंह
प्रतिवादीगण के लिए	:	श्री तनुज जैन, श्री मुकेश दवे - ए.जी.सी. के लिए

**माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा
आदेश (मौखिक)**

23/01/2025

1. मातृत्व और जीविकोपार्जक की अपनी भूमिका के बीच दुविधा में फंसी याचिकाकर्ता, अपनी आजीविका बचाने में मदद के लिए इस न्यायालय से अनुग्रह की याचना कर रही है। अपनी गर्भावस्था के उन्नत चरण (तीसरी तिमाही) के कारण, निर्धारित समय के भीतर कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थता के कारण, वह इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को बाध्य हुई है।
-

वह, अन्य बातों के अलावा, अपने करियर और परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि बढ़ाने का अनुरोध कर रही है। चूंकि प्रतिवादीगण ने तब से आवश्यक कार्रवाई करने से मना कर दिया है, इसलिए अब उसे नर्सिंग ऑफिसर के पद को प्राप्त करने के लिए देश भर में हजारों उम्मीदवारों के विरुद्ध सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने के बावजूद, अपनी कठिन परिश्रम से अर्जित नौकरी को खोने के जोखिम का सामना करना पड़ रहा है।

2. याचिकाकर्ता की दुविधा 09.01.2025 के पदस्थापन/कार्यग्रहण आदेश में लगाई गई शर्त के कारण है, जिसके द्वारा उसे 24.01.2025 को कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर, संबंधित पद पर उसकी नियुक्ति स्वतः ही रद्द हो जाएगी। उसने राज्य में 6,981 नर्सिंग अधिकारियों के चयन हेतु दिनांक 05.05.2023 के विज्ञापन के अनुसार आवेदन किया था और प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था।

3. दिनांक 28.11.2024 की उसकी चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता उस समय 22 सप्ताह की गर्भवती थी, अर्थात् आज की तारीख में लगभग 30 सप्ताह।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिवादी पक्ष की दलीलें सुनी हैं और मामले की पत्रावली का अवलोकन किया है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हुए, याचिकाकर्ता ने उदयपुर संभाग में लगभग 100 वरीयताएँ प्रस्तुत की थीं जहाँ रिक्तियाँ उपलब्ध हैं और उसे समायोजित किया जा सकता था। हालाँकि, उसे बाड़मेर जिले में पदस्थापित किया गया है, जो उसके निवास से 500 किलोमीटर से भी अधिक दूर है, और उसने कभी भी इसका विकल्प नहीं चुना। उनका तर्क है कि यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा मनमानेपन और विवेक का प्रयोग न करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

5.1. जबकि, प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता, जो याचिका की अग्रिम तामील पर उपस्थित हुए हैं, याचिका का विरोध करते हुए आग्रह करते हैं कि स्थानांतरण/पदस्थापन के मामलों में इस न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह प्रशासनिक आवश्यकता से उत्पन्न सेवा शर्तों का अभिन्न अंग है।

6. याचिका में विशिष्ट तथ्यात्मक विवरण को देखते हुए जो शपथ पत्र द्वारा विधिवत समर्थित है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता की उपशमनकारी परिस्थितियों को उसके निवास स्थान से 500 किलोमीटर दूर एक स्थान पर 24.01.2025 को या उससे पूर्व सेवाओं में शामिल होने का निर्देश देकर पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। यह प्रतिवादीगण की ओर से सहानुभूति और करुणा के अभाव को प्रतिबिंबित करता है तथा, जैसा भी मामला हो, मनमाना और यांत्रिक प्रयोग या विवेक का गैर-प्रयोग है।

7. राज्य से न केवल एक आदर्श नियोक्ता के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, बल्कि एक सदाचारी वादी के रूप में भी कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। जबकि, वर्तमान मामले में, प्रतिवादीगण द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण इसके विपरीत बल्कि बाधक और दमनकारी प्रकृति का है और, कम से कम यह कहा जाए कि, शक्ति के दुरुपयोग के अतिरिक्त, एक नियोक्ता के रूप में अपनी प्रभावी स्थिति का पूर्ण दुरुपयोग है।

8. याचिकाकर्ता ने उदयपुर संभाग के भीतर पदस्थापन के लिए 100 प्राथमिकताएं प्रस्तुत की थीं, जिसमें बाड़मेर जिला सम्मिलित नहीं था, और फिर भी, यह जानते हुए कि वह अपने मातृत्व की तीसरी तिमाही में है, उसे उसके निवास स्थान से 500 किलोमीटर से अधिक दूर पदस्थापन आवंटित किया गया है। ऐसा कोई संकेत नहीं है कि उसकी प्राथमिकताओं के अनुसार उदयपुर संभाग में उपयुक्त रिक्तियां अनुपलब्ध थीं। उसकी वर्तमान स्थिति में उसे इतनी दूर स्थानांतरित होने के लिए विवश करना गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है, उसके स्वास्थ्य के अधिकार का

तथा मानवीय होने के बिल्कुल बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध उल्लंघन करता है, और गर्भावस्था के दौरान सुरक्षित कार्य परिस्थितियों के उसके अधिकार की उपेक्षा करता है तथा संवेदनशीलता के अभाव को प्रदर्शित करता है।

9. मेरा यह विचार है कि, ऐसी अयुक्तियुक्त शर्तें अधिरोपित करके जो उसके रोजगार को खतरे में डालती हैं यदि वह वैध व्यक्तिगत और चिकित्सीय कारणों से अनुपालन करने में असमर्थ है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अंतर्निहित याचिकाकर्ता के आजीविका के अधिकार का उल्लंघन करता है।

10. इस पृष्ठभूमि में, रिट याचिका को प्रतिवादीगण को एक निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को उदयपुर में कहीं भी पदस्थापन का एक वैकल्पिक स्थान पुनः आवंटित करें ताकि वह अपनी आजीविका खोने के भय के बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम हो सके। आवश्यक कार्रवाई इस आदेश के वेब-प्रिंट की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर की जाए।

11. जब तक उपरोक्तानुसार निर्णय नहीं ले लिया जाता, तब तक याचिकाकर्ता के संबंध में, कर्तव्य पर उपस्थित होने की अवधि को विस्तारित माना जाएगा और उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी।

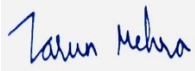
12. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित समझे जाएं।

(अरुण मोंगा),जे

49-एके चौहान/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है : हाँ / नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate
